

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**  
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. गुड़िया देवी पत्नी प्रेमसुख पुनियां  
जाति-जाट निवासी- पुनियों की  
ढाणी, बलून्दा, तहसील-जैतारण  
जिला-ब्यावर राज०।

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण,  
जिला- ब्यावर, राज०।
2. नायब तहसीलदार एवं उपपंजीयन  
अधिकारी, उपतहसील आ.कालू, तहसील  
जैतारण, जिला ब्यावर, राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु०न० :रा०वा० स०: 18/2025

निर्णय व डिक्री दिनांक : 27/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .....-..... व। हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीया मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ.कालू तहसील- जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 1043 रकबा 4.4758 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.9793 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1048 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1050/16 रकबा 12.2215 किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज "गुटकी देवी पत्नी प्रेमसुख" के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि "गुड़िया देवी पत्नी प्रेमसुख" दर्ज करते हुए वादीया को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/11/2025 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
(जिला-ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

27.11.2025